Annexure - XIV

उत्तरांचल शासन
विद्यालयी शिक्षा एवं सूचना विभाग
संख्या 1958/स.वि.शि. एवं सूचना /2005
देहरादून : दिनांक 24 अक्टूबर, 2005

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

जैसा कि आप अवगत हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकट किया जाना है। इस उद्‌देश्य हेतु सभी लोक प्राधिकारियो द्वारा 17 मैनुअल्स तैयार किये गये हैं।

तैयार किये गये इन 17 मैनुअल्स तक जनसाधारण की पहुंच सुलभ बनाये जाने हेतु मैनुअल्स को भारत सरकार की वैबसाईट (www.rti.gov.in) तथा उत्तरांचल शासन की वैबसाईट पर डाला जाना है। मैनुअल्स को इन दोनों वैबसाईटों पर डाले जाने का कार्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा संपादित कये जायेगा।

यह अनुरोध है कि कृपया लोक प्राधिकारियो ंद्वारा बनाये गये मैनुअल्स की सीडी के रूप में एक प्रति राष्ट्रीय सूचना के ंन्द्र (National Information center) के उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उन्हे वैबसाईट पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा सके।

(डी.के. कोटिया)
सचिव

संख्या : /स.वि.शि.एव.सू./2005/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि

1. श्री राकेश गोयल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया मैनुअल्स को दोनों वैबसाइटों पर डालने की कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें।
2. समस्त नोडल अधिकारी (सूचना का अधिकार) उत्तरांचल शासन।

(डी.के. कोटिया)
सचिव